न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म0प्र0
{पीठासीन अधिकारी : "श्रीमती सोनम वर्मा"}

Registration No. -138/2023
Filing No. -1658/2023
CNR No. -MP3607-002207-2023
Filing Date - 02-08-2023

1. श्रीमती सरोज भगत पत्नी प्रकाश केरकेटटा, उम्र 44 वर्ष,
2. कु. मानसी पुत्री प्रकाश केरकेटटा, उम्र 21 वर्ष,
3. सौरव पुत्र प्रकाश केरकेटटा, उम्र 12 वर्ष,

निवासीगणः—ग्राम सिमरा भाटा हॉल निवासी तहसील कॉलोनी कमल कोरी का मकान पृथ्वीपुर तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी म0प्र0

——आवेदिकागण

//विरूद्ध//

प्रकाश तनय रूपा केरकेटटा, उम्र 47 वर्ष,
निवासीः—ग्राम सिमरा भाटा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी म0प्र0
हॉल निवासीः—ग्राम मकरोहर तहसील बंदन जिला सिंगरौली म0प्र0

——अनावेदक

आवेदिका/अनावेदक/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. आवेदक

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की सूच
अ0सा01	श्रीमती सरोज भगत	आवेदिका साक्षी

ख. अनावेदक साक्षी, यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
निरंक	निरंक	निरंक

आवेदिका/अनावेदक/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. आवेदक प्रदर्शों की सूची

सं.क्रं.	प्रदर्श कमांक	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

ख. अनावेदक प्रदर्शों की सूची

सं.क्रं.	प्रदर्श	विवरण

निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श की सूची

सं.क्रं.	**प्रदर्श**	**विवरण**
निरंक	निरंक	निरंक

आवेदकगण द्वारा श्री नीलेन्द्र यादव अधिवक्ता।
अनावेदक एक पक्षीय।

–:: आदेश ::
(आज दिनांक 10.01.2026 को पारित)

01. इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र वास्ते आवेदिका क्र. 01 को प्रतिमाह बीस हजार रूपये एवं आवेदिका क्रमांक 02 व 03 को दस–दस हजार रूपये, इस प्रकार आवेदकगण को कुल 40,000/–रू. भरण पोषण राशि दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 125 दंप्रसं का निराकरण किया जा रहा है।

02. आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका की शादी आज से करीब 25 वर्ष पूर्व अनावेदक के साथ हिन्दू रीति रिवाज अनुसार ग्राम केसरा तहसील मनोरा जिला जशपुर छत्तीसगढ़ से होकर सम्पन्न हुई थी। आवेदिका के माता–पिता परिजन रिश्तेदार द्वारा अपनी सामर्थ्य अनुसार आवेदिका की शादी की थी। शादी के बाद आवेदिका विदा होकर अपने पति के साथ ससुराल पहुंची, उसके बाद अनावेदक ग्राम सिमरा भाटा में वर्ष 1997 से शिक्षक के पद पर पदस्थ था। शादी के बाद अनावेदक, आवेदिका को कस्बा पुथ्वीपुर वर्तमान जिला निवाड़ी म0प्र0 में आवेदिका एवं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिये किराये से निवास करने लगे। अनावेदक ही परिवार का भरण पोषण करता था, जबकि आवेदिका कोई काम धंधा नहीं जानती है। आवेदिका एवं अनावेदक के संसर्ग से पुत्री मानसी, जिसकी आयु लगभग 21 वर्ष है, जो अविवाहित है एवं पुत्र सौरभ जिसकी आयु 12 वर्ष है, जो आवेदिका के पास में ही है, जिनका भरण पोषण आवेदिका बडी मुश्किल से कर पाती है।

03. आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक 02–03 वर्ष पूर्व से किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध बनाये हुये है, जो महिला अनावेदक की रिश्तेदार लगती है। करीब 01 साल पूर्व आवेदिका को आवेदक क्र. 02 व 03 सहित घर में अकेला छोड़कर अनावेदक ने जिला सिंगरौली म0प्र0 में जानबूझकर अवैध महिला के कहने पर ट्रांसफर

करा लिया है और अनावेदक किसी अन्य औरत के साथ गलत संबंध रखता है और आवेदिका का न ही भरण पोषण एवं ना ही उसका एवं उसके बच्चों का कोई ध्यान दे रहा है। अनावेदक एक शासकीय अध्यापक के पद पर पदस्थ है, जो 70000/–रुपये मासिक वेतन अर्जित करता है। जबकि आवेदिकागण पृथ्वीपुर में किराये के मकान में निवास कर रहे है, आवेदिका अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाए से ठीक से नहीं दिला पा रही है। आवेदिका स्वयं काम धंधा नहीं जानती है, वह अपने नावालिग पुत्र सौरव एवं पुत्री मानसी, जो अविवाहित है, का भरण पोषण करने में पूर्णतः असमर्थ है। इसके साथ ही आवेदिका के माता पिता उसका भरण पोषण करने में पूर्णतः असमर्थ है, आवेदिका वर्तमान में भूखो मरने की स्थिति में है, इसलिए आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार कर अनावेदक से आवेदिका क. 1 को 20 हजार रुपये एवं आवेदक क. 02 व 03 को 10–10 हजार रुपये कुल 40,000/–रुपये मासिक भरण पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

04. अनावेदक एकपक्षीय होने से उसकी ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया।

05. आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है, कि :

1– क्या आवेदिका श्रीमती सरोज व शेष आवेदकगण, अनावेदक से युक्तियुक्त कारणों से प्रथक निवास कर रहे है ?

2– क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका एवं पुत्री कु. मानसी एवं पुत्र सौरव का भरण पोषण करने में सक्षम है ?

3– क्या <u>आवेदिका क. 01 प्रतिमाह बीस हजार रूपये एवं आवेदिका कमांक 02 व 03 दस–दस हजार रूपये कुल 40,000/–रू.,</u> अनावेदक से भरणपोषण राशि प्रतिमाह प्राप्त करने के अधिकारी है?

4– अन्य सहायता एवं खर्च।

<u>//विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 3 का सकारण निष्कर्ष//</u>

06. सभी विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से सबंधित होने एवं सुविधा की दृष्टि से सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. आवेदिका की ओर से अपने उक्त आवेदन के समर्थन में न्यायालयीन कथन में साक्षी श्रीमती सरोज भगत आ0सा01 का कहना है

कि उसकी शादी वर्ष 1998 में हिंदू रीति–रिवाज अनुसार प्रकाश के साथ ग्राम–केसरा, तहसील–मनौरा, जिला–जसपुर, छत्तीसगढ़ में हुई थी। उसके माता–पिता ने शादी में अपनी क्षमता अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद वह अपने पति के शासकीय शिक्षक के पद पर नौकरी करने के कारण ग्राम–सिमरा भाटा आ गयी थी। उसके बाद वह अपने बच्चों को पढ़ाने की वजह से अपने पति के साथ पृथ्वीपुर निवास करने लगी थी, तब से वह पृथ्वीपुर में ही किराये से निवास कर रही है, इसके बाद उसके पति का 6 साल पहले सिंगरौली में स्थानांतरण हो गया, तब से उसके पति उसे लेने नहीं आये। उन दोनों के संसर्ग से पुत्री मानसी, आयु–21 वर्ष अविवाहित एवं पुत्र सौरभ आयु–12 वर्ष का जन्म हुआ, जो वर्तमान में उसके साथ निवास कर रहे हैं। उसके पति सिंगरौली में किसी अन्य महिला के साथ निवास कर रहे हैं और उससे अवैध संबंध स्थापित किये हुए है। उसके पति उसे व उसके बच्चों को भरण–पोषण हेतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में उसे व उसके बच्चों की भूखों मरने की स्थिति है। उसके पति को वर्तमान में लगभग 70 हजार रूपये की वेतन प्राप्त हो रही है।

08. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन एवं अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में ये तथ्य दर्शित होते है कि आवेदिका श्रीमती सरोज भगत आ0सा01 ने अपने कथन में आवेदिका सरोज भगत का विवाह अनावेदक से वर्ष 1998 में हिन्दू रीति रिवाज अनुसार ग्राम केसरा तहसील मनोरा जिला जशपुर छत्तीसगढ़ से होकर सम्पन्न होना बताया है। उपरोक्त तथ्यों का कोई खंडन अभिलेख पर नहीं है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन में किए गए अभिवचनो एवं आवेदिका के न्यायालयीन कथन से भी ये तथ्य निर्विवादित है कि आवेदिका और अनावेदक का विवाह हिन्दु रीतिरिवाज अनुसार संपन्न हुआ था और उनके संसर्ग से एक पुत्री मानसी तथा एक पुत्र सौरव का जन्म हुआ था जो कि वर्तमान में आवेदिका के साथ निवास कर रहे है।

09. उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदिका साक्षी सरोज अ.सा.1 ने अनावेदक से उसकी शादी के पश्चात् उसके पति की शिक्षक के पद पर नौकरी लगने के कारण ग्राम सिमरा भाटा पृथ्वीपुर में किराये के मकान में निवास करना बताया है। साक्षी सरोज ने यह भी तथ्य बतलाये है कि उसके पति का करीब 6 साल पहले सिंगरौली स्थानांतरण हो गया था, तब से उसके पति लेने नहीं आये तथा सिंगरौली में अन्य महिला के साथ अवैध संबंध स्थापित कर निवास कर रहे है। साक्षी ने यह

व्यक्त किया है कि अनावेदक उसे लेने नहीं आता है और उसके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है।

10. प्रकरण में प्रस्तुत आवेदिका एवं अनावेदक साक्ष्य अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदिका एवं अनावेदक पति पत्नि है और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि अनावेदक द्वारा आवेदिका के भरण पोषण इलाज व खाने पीने के लिए निरंतर रूपये दिये जा रहे हैं, जबकि आवेदिका ने यह व्यक्त किया है कि अनावेदक सिंगरौली में शासकीय शिक्षक के पद पर पदस्थ है। तत्संबंध में अनावेदक की मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक की वार्षिक पेय स्लिप पेश की गई है, जिसमें अनावेदक प्रकाश केरकेटटा प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ होना तथा कटौत्रा पश्चात उसकी आय जनवरी 2024 में 68,378/—रुपये प्रतिमाह होना दर्शित है। अतः अनावेदक का यह दायित्व बनता है कि वह आवेदिका और अपने बच्चों का भरण पोषण करे।

11. **धारा 125 द.प्र.स.** का आवेदन के अंतर्गत आवेदिका को अभिलेख पर ये तथ्य साबित करने है कि अनावेदक एक सक्षम साधन वाला व्यक्ति है परंतु उसके द्वारा आवेदिका अथवा अपनी संतान के भरण पोषण में उपेक्षा की गई है और आवेदिका युक्तियुक्त कारण से अनावेदक से प्रथक निवास कर रही है।

12. प्रकरण में अब इस तथ्य का निराकरण किया जाना है कि अनावेदक साधन संपन्न व्यक्ति होकर आवेदिका एवं पुत्री व पुत्र का भरण पोषण करने में सक्षम है। इस सबंध में आवेदिका सरोज अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि अनावेदक शासकीय शिक्षक के पद पर पदस्थ है, परंतु प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि अनावेदक कार्य करने में सक्षम नहीं है और वह शासकीय शिक्षक नहीं है, जो यह दर्शाता है कि अनावेदक आय अर्जित करने में सक्षम है। अनावेदक पर अपनी पत्नी आवेदिका और पुत्र व पुत्री के अतिरिक्त अन्य किसी की जिम्मेदारी अथवा दायित्व होना दर्शित नहीं है। जिस कारण अनावेदक अपनी पत्नी आवेदिका तथा पुत्र व पुत्री का भरण पोषण करने में सक्षम है। उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य से अभिलेख पर ये तथ्य साबित होते है कि अनावेदक साधन संपन्न व्यक्ति है।

13. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टात रजनीश वि0 नेहा निर्णय दिनांक 04.11.20** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि *भरण पोषण का आदेश करते समय पक्षकारों की रहन–सहन की आर्थिक स्थिति, वास्तविक आय, उन पर आश्रित लोगो की संख्या, उन पर*

अधिरोपित दायित्व, उनकी स्वास्थ्य एवं पत्नि कितनी पढीलिखी है और कार्यरत है या नही, उपरोक्त सभी बिन्दुओ को ध्यान में रखकर भरण पोषण राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। **न्यायदृष्टांत शमीमा फारूखी बनाम शाहिद खान 2015–3 एससीसी 576** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि *कभी कभी पति यह दलील देता है कि उसके पास भरण पोषण के भुगतान के पर्याप्त साधन नही है क्योकि उसके पास नौकरी नही है या उसका व्यवसाय अच्छा नही चल रहा है, यह केवल बहाने मात्र है, वास्तव में ऐसी दलीलों की कानूनी रूप से कोई स्वीकार्यता नही है। यदि पति स्वस्थ्य है तथा सक्षम शरीर वाला तथा खुद का समर्थन करने की स्थिति में है, तब उसका यह दायित्व बनता है कि वह अपनी पत्नि का भरण पोषण करे।*

14. **धारा 125–1 द.प्र.स.** के अंतर्गत उन व्यक्तियों के भरण पोषण की रूपरेखा तैयार की गई है जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ नही है। आवेदिका द्वारा जिस व्यक्ति अर्थात पति से भरण पोषण का दावा किया गया है उसके पास भरण पोषण देने के लिए उपलब्ध पर्याप्त साधन होने चाहिए, जिसका तात्पर्य है कि भत्ते का समर्थन करने वाला व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पति के पास भरण पोषण देने की शारीरिक, मानसिक व वित्तीय क्षमता है। **धारा 125–1–ग द.प्र.स के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि** ऐसी धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है और उसने व्यस्था प्राप्त कर ली है और ऐसी संतान किसी शारीरिक मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। उसको उक्त उपबंध के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की पात्रता है।

15. **न्यायदृष्टांत प्रकाश गोधराज वि0 शीला राय, एआईआर 1968 दिल्ली 174** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सक्षम युवक को पर्याप्त धन कमाने में सक्षम माना जाना चाहिए कि वह अपनी पत्नि व बच्चों का पालन पोषण करे अपितु ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में ये ठोस आधार दिखाना होगा कि वह अपने नियंत्रण के परे कारणों से अपनी पत्नि का भरण पोषण करने में असमर्थ है। जहां पर पति अपनी आय की राशि का सही खुलासा नही करता है वहां उसके खिलाफ अनुमान आसानी से स्वीकार्य होगा।

16. **न्यायदृष्टांत जसबीर कौर सहगल बनाम जिला न्यायाधीश देहरादून व अन्य 1997–7 एससीसी 7** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि भरण पोषण का आदेश पारित करते समय पक्षकारों की स्थिति, उनकी संबंधित जरूरतों, पति की अपने स्वयं के भरण पोषण के उचित खर्चो के सबंध में भुगतान

करने की क्षमता और कानूनन भुगतान व कटौती पर विचार करना होगा। पत्नि के लिए भी भरण पोषण राशि इस प्रकार होना चाहिए कि वह अपनी स्थिति और पति के साथ रहने के तरीके को देखते हुए उचित आराम से रह सके और उभयपक्ष के मध्य तय राशि अत्यधिक या जबरन वसूली नही होनी चाहिए।

17. उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अवलोकन के प्रकाश में धारा 125 द. प्र.स. के अंतर्गत भरण पोषण राशि इतनी होनी चाहिए जो उभयपक्ष के सामाजिक स्तर, उनके आय के साधन अनुसार, निराकृत की जानी चाहिए। उपरोक्त प्रकरण में यह दर्शित है कि अनावेदक की पुत्री आवेदिका क्र. 2 मानसी अपतु 21 वर्षीय बालिग है, परंतु साक्षी सरोज के कथन अनुसार वह आर्थिक रूप से आवेदिका मां तथा अनावेदक पिता पर अश्रित है, वर्तमान में कोई कार्य नहीं कर रही है तथा उपरोक्त परिस्थितियों के कारण कमाने में असमर्थ है। संपूर्ण साक्ष्य अनुसार आवेदिका यह साबित करने में **सफल** रही है कि आवेदिका, अनावेदक से युक्तियुक्त कारण से प्रथक निवास कर रही है और अनावेदक द्वारा आवेदिका तथा अपने पुत्र व पुत्री का भरण पोषण करने में उपेक्षा की गई है जिस कारण वह युक्तियुक्त कारण से अनावेदक से पृथक निवासरत् है और अनावेदक एक साधन संपन्न व्यक्ति है, जिस कारण आवेदिका और पुत्र व पुत्री के भरण पोषण का दायित्व अनावेदक पर है और आवेदकगण, अनावेदक से भरण पोषण राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। **परिणामतः विचारणीय प्रश्न क्र. 1 लगायत 3 आवेदिका के पक्ष में साबित होते है।**

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 का सकारण निष्कर्ष//

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना एवं अभिलेख अवलोकन उपरांत न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आवेदिका और अनावेदक की शैक्षणिक योग्यता, वर्तमान आय एवं उनके जीवन स्तर, अनावेदक के दायित्व तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभिलेख पर यह तथ्य साबित होता है कि अनावेदक साधन संपन्न व्यक्ति है और अनावेदक द्वारा आवेदिका के भरण पोषण में उपेक्षा की गई है, **परिणामतः आवेदन अंतर्गत धारा 125 द.प्र.स. स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता हैः–**

1. अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदिका क्रमांक 01 को प्रत्येक माह की 05 तारीख को नकद या बचत खाता में 3000/–रू. प्रतिमाह तथा आवेदिका क्रमांक 02 के विवाह तक 2000/–रुपये प्रतिमाह तथा आवेदक क्रमांक 03 पुत्र को बालिग होने तक

2000 / –रुपये प्रतिमाह, इस प्रकार कुल 7000 / –रुपये प्रतिमाह अदा करे।

2. यदि आवेदिकागण अन्य किसी प्रकरण में कोई भरण पोषण राशि प्राप्त कर रहे है, तो वह उस आदेश में समयोजित समझी जायेगी।

19. आवेदन का व्यय उभयपक्ष अपना–अपना वहन करेगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं निर्णय मेरे निर्देशन पर टंकित। दिनांकित कर घोषित।

(श्रीमती सोनम वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

(श्रीमती सोनम वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

SONAM VERMA

Digitally signed by SONAM VERMA
Date: 2026.01.10 17:14:05 +0530